<u>अति महत्वपूर्ण</u>

<u>संख्या- 22/2025/ 397 /सैतालीस-का-5-2025-(1923527)</u>

प्रेषक,

कुलदीप कुमार रस्तोगी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ०प्र० शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, उ०प्र०।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र०।
4. समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।

कार्मिक अनुभाग-5 **लखनऊः दिनांक : 16 जून, 2025**

विषयः- कार्मिकों के विरूद्ध संस्थित विभागीय जांच / अभियोजन / सतर्कता जांच का विवरण मानव सम्पदा पोर्टल पर दर्ज करायें जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्मिक विभाग के पत्र संख्या-I/952673/2025, दिनांक 02.05.2025 (प्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से राज्य कर्मचारियों के विरूद्ध संस्थित विभागीय जांच / अभियोजन / सतर्कता जांच संबंधी कार्यवाही का विवरण विभागीय एडमिन के माध्यम से मानव सम्पदा पोर्टल पर दर्ज कराये जाने के निर्देश दिये गये है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पोर्टल की समीक्षा से यह संज्ञान में आया है कि प्रकरण में विभागों द्वारा कृत कार्यवाही संतोषजनक नहीं है तथा अधिकांश विभागों द्वारा उक्त वांछित सूचना पोर्टल पर दर्ज नहीं की गयी है, अतएव आपसे अनुरोध है कि कृपया प्रश्नगत प्रकरण में विभाग स्तर पर समीक्षा करते हुए उक्त वांछित कार्यवाही प्रत्येक दशा में दिनांक 30.06.2025 तक पूर्ण कराने का कष्ट करें। प्रश्नगत प्रकरण अत्यन्त महत्वपूर्ण है। अतः इसे शीर्ष प्राथमिकता प्रदान करने कष्ट करें।

<u>संलग्नक : यथोक्त।</u>

भवदीय,
(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव-</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
2. अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी।
3. निजी सचिव, मा० मंत्रिगण को, मा० मंत्रिगण के सूचनार्थ।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव के सूचनार्थ।
5. प्रमुख सचिव विधान परिषद/विधान सभा, उत्तर प्रदेश।
6. सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
7. सचिव, उत्तर प्रदेशलोक सेवा आयोग, प्रयागराज।
8. सचिव, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।
9. निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
10. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
11. श्री ए०के० रावत, वरिष्ठ निदेशक(आई०टी०), एन०आई०सी०, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
12. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
13. ई०एम०डी० मैनेजर सचिवालय प्रशासन विभाग को इस आशय से प्रेषित कि उक्त निर्देश को ई-ऑफिस डैशबोर्ड पर प्रदर्शित कराने का कष्ट करें।
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मनीष चन्द्र श्रीवास्तव)

संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।